

CJ-2014

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल गोप्ता गवालिष्ट

निगरानी क्रमांक A-1621-III-14

ता 2014.

गोप्ता गवालिष्ट श्रीमान् राजस्व यादव तथा श्री मिहीलाल यादव उम 48

गोप्ता गवालिष्ट श्रीमान् राजस्व यादव तथा श्री मिहीलाल यादव उम 48

निगरानी क्रमांक

म०प०

बातम्

1. श्रीमान् राजस्व उम 39 वर्ष तथा श्री भावानदास यादव
2. भारत शूलक तथा श्री भावानदास यादव उम 36 वर्ष
3. श्रीम प्रताप यादव उम 20 वर्ष तथा श्री भावानदास यादव
4. रामपाल यादव उम 16 वर्ष तथा श्री भावानदास यादव
5. श्रीम गोप्ता द्वारा बलीशरस्त पिता-भावानदास यादव  
नायालिंग द्वारा बलीशरस्त निवासी ग्राम पराचौकी, तहसील व जिला-छत्तीसगढ़  
भृगुस्त निवासी ग्राम पराचौकी, तहसील व जिला-छत्तीसगढ़ म०प०

गोप्ता गवालिष्ट श्रीमान् राजस्व यादव उम 48

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म०प० गृहीत

वानाराजगी आदेश श्रीमान् राजस्व गोप्ता गवालिष्ट महोदय, जिला-  
छत्तीसगढ़ के प्रकरण नं. 77/निगरानी/अप्रैल/2010-11  
पा रित आदेश दिनांक 26-3-2014 के फूल-

क्रमांक 1710  
टेलिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज  
दिनांक सुनी प्राप्त

आदेश गोप्ता गवालिष्ट महोदय, जिला-ध्येयक द्वारा

कलाक आफ कोटि पा रित आदेश दिनांक 26-3-2014 के फूल निम्न लिखित सादर निगरानी  
राजालय अस्तम अप्रैल 2014 को उल्लिखित

प्रस्तुत करता है-

1. यह कि प्रकरण संदिग्ध इस प्रकार है कि भूगि खारा में


389 जो पूर्व में आदेश के पिता मिहीलाल यादव के नाम थी, उसी अंतिम काल में उक्त खारा नम्बर का बन्टवारा अने तीनों मुख्य भागों

राजस्व मण्डल मोप्र० ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1621-त्रीन / 14

जिला— छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभ षक आदि के हस्ताक्षर
2.03.16	<p>आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक को समय समय पर आवाज लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं। अतः अनुपस्थित होने के कारण तथा प्रकरण में लघि नहीं होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p>  <p style="text-align: right;">सदस्य</p> <p style="text-align: left; margin-left: 100px;"></p>	